

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनू (राज०)
(दिनांक 19.08.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 282/2024

GCMS NO :- 2024 / 509

किस्म मुकदमा :- 138 LR Act.

उनवान :- वासुक बनाम राज० सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 19.08.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का झारोडा की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम झारोडा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 92 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	झारोडा	92	वासुल पुत्र राजवीर	वासुक पुत्र राजवीर



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

क्रमांक राजस्व/2025/727

दिनांक :- 19/8/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. वासुक पुत्र राजवीर जाति खाती निवासी झारोडा तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज० को सूचनार्थ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

